न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /२०१२ निगरानी — 1257-/12

रामगोपाल पुत्र नाथूराम चौरसिया, आयु वर्ष, निवासी ग्राम लौंडी, तैहसील लौंडी, जिला छतरपुर ---आवेदक

वनाम

१) सुशीलकुमार पुत्र शम्भूदयाल,

२) शैलैन्द्रकुमार पुत्र रामचरण चौरसिया,

३) जीतैन्द्रकुमार पुत्र रामचरण चौरसिया, निवासीगण लवकुश नगर, लौंडी, जिला छतरपुर

४) म०प्र० शासन ---अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २०-३-१२ पारित द्वारा अपर कलैक्टर, जिला छतरपुर कैप्रकरण क्रमांक २०४/अ/५/११-१२नि०वउनवान रामगोपाल चौरसिया बनाम सुशीलकुमार आदि।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक २३ स्थित ग्राम देवपुर, तैहसील लौंडी जो कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिसकेसंबंध में अनावेदक सुशीलकुमार आदि के तैहसील न्यायालय में कटांकन कायम तरमीम वावत प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक ४/अ-३/११-१२ वउनवान सुशीलकुमार बनाम म०प्र० शासन पर दर्ज किया गया जिसमें आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही कोई प्रकरसूचना ही दी गयी। आवेदक के पीठ पीछे और सुनवाई का अवसर दिए ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :– निगरानी–1249–दो/2012 जिला–छतरपुर

रामगोपाल विरूद्ध सुशील कुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12.02-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 204/अ/5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20–03–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य	12/02/19